न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 11/2022

प्रार्थी

श्री हडमतसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी बसन्तगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री कान्तिलाल पुत्र स्व. श्री प्रेमाराम जाति भील निवासी बसन्तगढ हाल झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री कानाराम पुत्र स्व. श्री प्रेमाराम जाति भील निवासी बसन्तगढ़ हाल झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. ग्राम पंचायत बसन्तगंढ़ जरिए सरपंच ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. पंचायत समिति पिण्डवाडा जरिए विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।
6. मृतक श्री भीखाराम पुत्र श्री भूराराम जाति रेबारी निवासी रेबारीवास बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के कायम मुकाम–

6.1 श्रीमती झमू पत्नि श्री भूराराम जाति रेबारी निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

6.2 श्रीमती सोपू पत्नि स्व. श्री भीखाराम जाति रेबारी निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

6.3 श्रीमती प्रवीणा कुमारी पुत्री स्व. श्री भीखाराम पत्नि श्री वीराराम जाति रेबारी निवासी बसन्तगढ़ हाल राजपुरा बाल्दा तहसील व जिला सिरोही।

6.4 श्रीमती अरूणा कुमारी पुत्री स्व. श्री भीखाराम पत्नि श्री गोवाराम जाति रेबारी निवासी बसन्तगढ़ हाल आमली रोड पिण्डवाडा जिला सिरोही।

6.5 सुश्री जमना कुमारी पुत्री स्व. श्री भीखाराम नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता श्रीमती सोपू पत्नि स्व. श्री भीखाराम निवासी बसन्तगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

6.6 श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री भीखाराम नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता श्रीमती सोपू पत्नि स्व. श्री भीखाराम निवासी बसन्तगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

6.7 श्री किशन कुमार पुत्र स्व. श्री भीखाराम नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता श्रीमती सोपू पत्नि स्व. श्री भीखाराम निवासी बसन्तगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

7. श्री लालाराम पुत्र श्री पोमाजी रेबारी जाति रेबारी निवासी रेबारीवास बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:51:16 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांक 08.10.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के पूर्व रसाधिकारी श्री प्रेमाराम पुत्र श्री गमनाराम भील निवासी बसन्तगढ के हक में जारी पट्टा संख्या 005991 दिनांक 07.10.2009 क्षेत्रफल 3187.50 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक से सात की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस तामिली के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जबाव प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के पूर्व रसाधिकारी श्री प्रेमाराम पुत्र श्री गमनाराम भील निवासी बसन्तगढ को नियमो के विपरित आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी ग्राम बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा का निवासी है एवं खेती कार्य कर अपना व परिवार का गुजारा चलाता है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील के नाम से उसके रहवासी व पुश्तैनी आवास ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ में अन्यत्र मकान व भूखण्ड आया हुआ है तथापि ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच द्वारा मेल मिलाप कर एवं राजकोष में विहित शुल्क/राशि जमा कराए बिना ही प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व के भूखण्ड पर गलत व विधि विरूद्ध नियम 157(ख) पुराने आवास का नियमन के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो काबिल खारिज योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील के नाम से जारी उपरोक्त भूखण्ड का पट्टा विधि विरूद्ध गलत प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है, चूंकि उक्त भूखण्ड पर वर्ष 1966 में प्रार्थी श्री हडमतसिंह के पिता श्री किशोरसिंह पुत्र श्री पदमसिंह जी राजपूत निवासी बसन्तगढ़ को तत्कालीन ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ द्वारा पट्टा संख्या 14 दिनांक 26.09.1966 को कुल क्षेत्रफल 7000 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया था एवं उक्त भूखण्ड को प्रार्थी के पिता श्री किशोरसिंह ने वर्ष 1976 में अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील को बेचान कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील ने दिनांक 11.09.1998 को जरिए इकरारनामा उक्त भूखण्ड को श्री ओटाराम पुत्र श्री टिलाजी जाति हीरागर निवासी बसन्तगढ़ को बेचान कर दिया था, जिसे श्री ओटाराम हीरागर ने दिनांक 15.08.1999 को स्वयं के खरीदशुदा भूखण्ड को जरिए इकरारनामा प्रार्थी श्री हडमतसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह राजपूत को मोल कीमतन पुनः विक्रय कर कब्जा सुपूर्द कर दिया, इस प्रकार प्रार्थी के पिता के नाम से जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 26.09.1966 के पुश्तैनी भूखण्ड को प्रार्थी ने पुनः खरीदकर कब्जा प्राप्त किया एवं उसके पश्चात प्रार्थी के पिता श्री किशोरसिंह ने उक्त भूखण्ड पर परकोटा निर्माण हेतु प्रार्थी ने दिनांक 21.06.1999 को ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ से नियमानुसार एन.ओ.सी. प्राप्त की तथा दिनांक 05.04.2002 को प्रार्थी ने अपनी पत्नि श्रीमती गुलावकंवर के नाम से उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी कराने हेतु ग्राम पंचायत में जरिए रसीद संख्या 291 के द्वारा आवेदन किया, जिसके बाद दिनांक 17.11.2011 को प्रार्थी ने ग्राम पंचायत में पट्टा हेतु आवेदन किया, रसीद संख्या 65 पुस्तक संख्या 271 ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.02.2011 को जारी की, इसके बाद प्रार्थी ने ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ व उच्च अधिकारियों को एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवों के संग शिविर में भी अपने कब्जे आधिपत्य के उक्त भूखण्ड का पट्टा एवं शौचालय के लिए खार कुंआ हेतु एवं जल व विद्युत कनेक्शन हेतु एन.ओ.सी. जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:31:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

करवाने हेतु दिनांक 04.03.2013, 14.11.2014, 22.01.2018 एवं 06.08.2018 को नियमानुसार आवेदन किया, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को जानबूझकर पट्टा जारी नहीं किया तथा प्रार्थी के उक्त कब्जे आधिपत्य वाले भूखण्ड पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ से एनओसी लेकर शौचालय हेतु खार कुंआ बनवाया तथा जल व विद्युत कनेक्शन भी लिए तथा परकोटा भी बनवाया। इस प्रकार प्रार्थी के उक्त भूखण्ड पर कब्जे आधिपत्य की जानकारी अप्रार्थीगण को शुरू से ही है, तथापि अप्रार्थी संख्या तीन व चार ने गलत व विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील को वादग्रस्त पट्टा जारी किया है और अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील ने उक्त भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या छः व सात को जरिए विक्रय विलेख अवैध रूप से दिनांक 18.01.2010 को बेचान किया, जिसकी जानकारी प्रार्थी को होते ही प्रार्थी श्री हडमतसिंह ने स्व. श्री प्रेमाराम भील व अप्रार्थी संख्या छः व सात तथा स्व. श्री भूराराम पुत्र श्री धुलाजी तथा श्री हमीराराम पुत्र श्री रूपाजी जाति रेबारी निवासी बसन्तगढ़ के विरूद्ध पुलिस थाना पिण्डवाडा में मुकदमा अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी. भा.द.सं. के तहत दर्ज करवाया, जिसके अनुसंधान में अप्रार्थीगण ने बचाव हेतु पुलिस से मेल मिलाप कर अप्रार्थी संख्या छः व सात तथा स्व. श्री भूराराम पुत्र श्री धुलाजी तथा स्व. श्री हमीराराम पुत्र श्री रूपाजी जाति रेबारी निवासी बसन्तगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील से गलत व अवैध तरीके से खरीद किए गए भूखण्ड को जरिए शपथपत्र द्वारा मूल दस्तावेजात सहित पुनः ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ को सुपूर्द कर दिया गया, जिससे प्रकरण में पुलिस द्वारा न्यायालय में एफ.आर. पेश की गई, जिसके विरूद्ध प्रार्थी की ओर से न्यायालय में नाराजगी पिटीशन प्रकरण विचाराधीन है। इस प्रकार समस्त अप्रार्थीगण ने मेल मिलाप कर प्रार्थी के कब्जे आधिपत्य वाले भूखण्ड को जानबूझकर हडप करने के दुराशय से ही अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील के नाम से उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनन काबिल खारिज योग्य है। यह है कि तत्कालीन सरपंच व सचिव द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील को गलत रूप से अनुचित फायदा देने हेतु स्व. श्री प्रेमाराम भील के नाम से जारी उक्त पट्टा की द्वितीय प्रति के पुष्ठ भाग पर तत्कालीन सरपंच-व सचिव के विधि अनुसार हस्ताक्षर व सील नहीं है एवं न ही विधिक प्रक्रिया अपनाकर मौका कमेटी गठित कर मौका फर्द बनाई गई एवं न ही कोई नोटिस जारी कर सार्वजनिक रूप से आपत्ति अनापत्ति ली गई है, जिससे भी उक्त पट्टा खारिज योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 005991 दिनांक 07.10.2009 क्षेत्रफल 3187.50 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक से सात की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस तामिली के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। पूर्व में इनको जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान किए गए, परन्तु इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया एवं न ही अप्रार्थी संख्या एक से सात के द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर उपस्थिति दी गई। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:31:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई एक पक्षीय बहस का मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम पुत्र श्री गमनाराम भील निवासी बसन्तगढ को उक्त विवादित पट्टा संख्या 005991 दिनांक 07.10.2009 क्षेत्रफल 3187.50 वर्गफुट सरपंच ग्राम पंचायत, बसन्तगढ़ द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत रूपए 200/– की राशि लेकर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि वादग्रस्त पट्टे के भूखण्ड पर वर्ष 1966 में प्रार्थी श्री हडमतसिंह के पिता श्री किशोरसिंह पुत्र श्री पदमसिंह जी राजपूत निवासी बसन्तगढ को तत्कालीन ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ द्वारा पट्टा संख्या 14 दिनांक 26.09.1966 को कुल क्षेत्रफल 7000 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया था एवं उक्त भूखण्ड को प्रार्थी के पिता श्री किशोरसिंह ने वर्ष 1976 में अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील को बेचान कर दिया। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि श्री किशोरसिंह द्वारा किसी भी भूखण्ड का बेचान अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील को किया हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य दौराने बहस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील ने उक्त विवादित पट्टे के भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या छः व सात को जरिए विक्रय विलेख के दिनांक 18.01.2010 को बेचान किया, जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्राथी ने स्व. श्री प्रेमाराम भील व अप्रार्थी संख्या छः व सात तथा स्व. श्री भूराराम पुत्र श्री धुलाजी तथा श्री हमीराराम पुत्र श्री रूपाजी जाति रेबारी निवासी बसन्तगढ के विरूद्ध पुलिस थाना पिण्डवाडा में मुकदमा अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी. भा.द.सं. के तहत दर्ज करवाया, जिसके अनुसंधान में अप्रार्थीगण ने बचाव हेतु पुलिस से मेल मिलाप कर अप्रार्थी संख्या छः व सात तथा स्व. श्री भूराराम पुत्र श्री धुलाजी तथा स्व. श्री हमीराराम पुत्र श्री रूपाजी जाति रेबारी निवासी बसन्तगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील से खरीद किए गए भूखण्ड को जरिए शपथपत्र द्वारा मूल दस्तावेजात सहित पुनः ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया, जिससे प्रकरण में पुलिस द्वारा एफ.आर. पेश की गई, परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रार्थी अधिवक्ता का उपरोक्त कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत अधिकतम 300 वर्गगज यानि 2700 वर्गफीट तक का ही पट्टा जारी किए जाने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:31:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भील के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा कुल 3187.50 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है एवं ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पचांयत बसन्तगढ़ द्वारा जारी उक्त विवादित पट्टे पर सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ के हस्ताक्षर नहीं है। अतः विवादित पट्टे पर सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ के हस्ताक्षर नहीं होने से इसे वैध पट्टा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी दस्तावेज पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने पर ही उसे वैध दस्तावेज कहा जा सकता है, परन्तु ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम भील के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा संख्या 005991 की प्रति पर सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ के हस्ताक्षर नहीं किए हुए है। अतः बिना हस्ताक्षर के विवादित पट्टे को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता स्व. श्री प्रेमाराम पुत्र श्री गमनाराम भील निवासी बसन्तगढ के हक में जारी पट्टा संख्या 005991 दिनांक 07.10.2009 क्षेत्रफल 3187.50 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत बसन्तगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की मौके पर कब्जे व मालिकी स्वामित्व की जांच कर एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार जांच कर नियमानुसार नए सिरे से पट्टा जारी करें।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सुने इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:31:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner